



!! आदेश !!

क्रमांक 714

दिनांक 13/10/2011

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग का ज्ञापन क्रमांक 121/754/11/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 29.04.2011 में दिये गये निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का 33वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 02.09.2011, के पद संख्या क्रमांक 15 पर पारित संकल्प क्रमांक 917-15/33/09/2011 में लिये गये निर्णय के परिपालन में मण्डल के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत वेतन प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया है अथवा जिनके वेतन भत्तों का पुनरीक्षण किन्हीं कारणों से नहीं हुआ है, को 103% पुनरीक्षित महंगाई भत्ते की दरों में निम्नानुसार संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01.04.2011 (माह अप्रैल 2011 का वेतन जो मई, 2011 में देय होगी)	103 प्रतिशत

मण्डल के आदेशानुसार

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
रायपुर

रायपुर, दिनांक 13/10/2011

पृ. क्रमांक/5027/आ.आ./स्था./11

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
5. उपायुक्त-I (योजना)/II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
8. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग/परि.संभाग .....
11. आयुक्त नगर पालिक निगम .....
12. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
रायपुर

